

✓ जूनियर इंजीनियर (प्राविधिक) सेवा नियमावली - 1968

उत्तर प्रदेश सरकार

सार्वजनिक निर्माण (ख) विभाग

संख्या - 1203 ईबीआर/23 पी.डब्लू.डी. 147 ईबीआर/52

लखनऊ : दिनांक 21.6.1968

विज्ञप्ति

विविध

भारत के संविधान के अनुच्छेद 306 के प्रतिवाद खण्ड के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके, और प्रस्तुत विषय पर विद्यमान सभी नियमों तथा आदेशों का अतिक्रमण करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग संगणक (कम्प्यूटर) सेवा में पदों पर भर्ती, और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बताते हैं :

सार्वजनिक निर्माण विभाग संगणक सेवा नियमावली, 1968

भाग - 1 - सामान्य

1. (1) यह नियमावली सार्वजनिक निर्माण विभाग संगणक सेवा नियमावली, 1968 कहलायेगी।
(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग संगणक सेवा एक अधीनस्थ (अराजपत्रित) सेवा है।
3. जब तक कि विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में;
(क) 'मुख्य अभियंता' का तात्पर्य मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश से है।
(ख) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत के संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो अथवा समझा जाता है।
(ग) 'आयोग' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से है।
(घ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है,
(ङ) 'विभाग' का तात्पर्य सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश से है,
(च) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,
(छ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली से प्रचलित होने के पूर्ण प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति से है।
(ज) सेवा का तात्पर्य सार्वजनिक निर्माण विभाग संगणक सेवा से है और राज्य सरकार का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

(2) भाग - 2 संवर्ग

- (1) सेवा के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाये।
- (2) सेवा के पदों की स्थायी संख्या जब तक कि उप नियम के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, 29 होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि :

(क) मुख्य अभियंता किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है अथवा/तथा राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं और ऐसा किये जाने पर कोई व्यक्ति प्रतिकार या हकदार होगा, और राज्यपाल समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सूचित कर सकते हैं जो आवश्यक मालूम पड़े।

भाग - 3 - भर्ती

5. सेवा में भर्ती :

(1) भाग-5 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा, या

(2) इस नियमावली के भाग-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रोन्नति द्वारा की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि मुख्य अभियंता, स्रोत का निश्चय करेंगे जिससे भर्ती ऐसे प्रकार से की जायेगी कि यथासम्भव, सेवा के संवर्ग के 20 प्रतिशत पद ऊपर। में निर्दिष्ट स्रोत से भरे जायें।

6. अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त आरक्षण के आदेशों के अनुसार होगा।

टिप्पणी : इस नियमावली के प्रस्थान के समय प्रवृत्त आदेशों की एक प्रतिलिपि इस नियमावली के परिशिष्ट (क) में दी गयी है।

भाग - 4 - अर्हतायें

7. सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का

(1) भारत का नागरिक या सिविकम की प्रजा, या

(2) तिब्बती जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व आया हो, या

(3) भारतीय उद्भव का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय में पाकिस्तान से प्रव्रजन किया हो, होना आवश्यक है।

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (2) और (3) के अभ्यर्थी के लिए ऐसा व्यक्ति होना आवश्यक है जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

प्रतिबन्ध यह भी है कि श्रेणी (2) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले,

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (2) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र उसकी नियुक्ति के दिनांक से केवल एक वर्ष के लिए वैध होगा जिसके पश्चात वह सेवा में तब ही रखा जा सकता है जब कि वह भारत का नागरिक हो जाय,

प्रतिबन्ध यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (2) के किसी तिब्बती की नियुक्ति का राज्यपाल/से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदन करने के पहले राज्य सरकार का विशिष्ट अनुमोदन सभी मामलों में लिया जायेगा।

8. सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें चयन किया जाय, 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, किन्तु 25 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

टिप्पणी : 1. अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में आयु की अधिकतम सीमा पाँच वर्ष अधिक होगी।

2. मुख्य अभियंता, आयोग के परामर्श से, अभ्यर्थियों के आयु की अधिकतम सीमा शिथिल कर सकता है यदि न्यायोचित व्यवहार या लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाय।

(1) सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी इस नियमावली के परिशिष्ट में उल्लिखित कम से कोई

एक भी अर्हता रखता हो, और

(2) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी की पूरी जानकारी हो।

टिप्पणी : सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह उस संख्या से जिसमें वह अन्तिम बार पढ़ा हो अथवा उत्तर प्रदेश में किसी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधान से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी की पूरी जानकारी है। ऐसे अभ्यर्थियों से जो हाई स्कूल या किसी समकक्ष परीक्षा में हिन्दी का विषय लेकर उत्तीर्ण हुए हों, ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित न होगा।

अधिमान्य अर्हताएँ :-

10. अन्य बातों के समान होने पर, सेवा में भर्ती के मामले में, उस अभ्यर्थी को अधिमान किया जाये जिसने (1) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष तक सेवा की हो, या भारत जिससे नेशनल कैडेट कोर का मेडल 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी शैक्षिक रिक्ति में नियुक्त करने के पूर्व, यह आवश्यक है कि वह फण्डामेंटल रूल 10 के अधीन बनाये गये और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक खण्ड-2, भाग-3 के अध्याय-3 में किये गये नियमों के अनुसार किसी सिविल सर्जन से हर आशय का स्वस्थता का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त है जिससे उसे अपने शासकीय कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

12. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह उस सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त बनाये। मुख्य अभियंता का यह कर्तव्य होगा कि वह इससे मान्य में अपना समाधान कर लें।

टिप्पणी :- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्त के लिए पात्र न समझे जायेंगे।

13. कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी एक पत्नी पहले से ही जीवित हो, सेट्टर में भर्ती के लिए पात्र न होंगे।

भाग - 5 - सीधी भर्ती की प्रक्रिया

14. मुख्य अभियंता, आयोग को उस वर्ष के जिसमें भर्ती की जानी हो, अगस्त माह में, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें उसे अकेले कलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती के द्वारा रिक्तियों में भरना अपेक्षित होगा, और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की भी, यदि कोई हो, सूचना देगा।

15. (क) सेवा में भर्ती के लिए प्रार्थना पत्र आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे और नियत प्रपत्र में दिये जायेंगे जिन्हें आयोग के सचिव से भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा जो निर्दिष्ट किया जा सकता है।

16. आयोग प्राप्त प्रार्थना पत्रों की अब परिमरीक्षा करेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो इस नियमावली के अधीन नियुक्त के लिए सबसे अधिक अर्ह प्रतीत हो, अपने व्यय पर साक्षात्कार के लिए उसके समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा। साक्षात्कार के पश्चात् आयोग उन अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा जिन्हें वह नियुक्ति के लिए सबसे उपयुक्त समझे और उनके नाम योग्यता क्रम से रखेगा। सूची में अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के कुछ अधिक होगी। आयोग इस सूची को मुख्य अभियंता के पास भेज देगा।

17. सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को, आयोग को प्रार्थना पत्र तथा साक्षात्कार के लिए ऐसे शुल्कों का भुगतान करना आवश्यक होगा जो राज्यपाल द्वारा समय-समय पर नियत किये जायें। इन शुल्कों की वापसी के लिए साधारणतया कोई दावा स्वीकार न किया जायेगा।

टिप्पणी : इस नियमावली के प्रत्यापन के समर्थ नियत शुल्कों का भाग इस नियमावली के परिशिष्ट में दिया गया है।

18. नियम 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मुख्य अभियंता, आयोग द्वारा तैयार की गयी सूची से योग्यता क्रम में अभ्यर्थियों को अपेक्षित संख्या में लेगा और उनके नाम आयोग द्वारा निश्चित क्रम से अनुमोदित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज करेगा।

भाग - 6 - पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

19 (1) किसी भी नक्शानवीन (ड्राफ्टमैन) की नियम 5(2) के अधीन सेवा में तब तक पदोन्नति नहीं की जायेगी जब तक कि वह स्थायी न हो और उसने विभाग में कम से कम 10 वर्ष की सेवा, जिसके अन्तर्गत अनर्ह नक्शानवीन के रूप में सेवा की है, न की और वह सेवा में पदोन्नति के लिए पात्रता निर्धारित करने के निर्मित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण न करे।

(2) भर्ती ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी किन्तु अयोग्य व्यक्तियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(3) मुख्य अभियंता उन व्यक्तियों में से जो किसी विशेष वर्ष में पदोन्नति के लिए उपनियम (1) के अधीन पात्र हो, उपर्युक्त अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा। सूची में नामों की संख्या वर्ष के दौरान मौलिक रूप से भरी जाने वाली अपेक्षित रिक्तियों की संख्या की दुगुनी होगी। नाम, निम्न पद पर उनकी ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

(4) उपर्युक्त सूची और पद क्रम सूची जिसमें ज्येष्ठ कर्मचारियों को छोड़ने के कारण, यदि कोई हो, दिये जायेंगे, और सभी पाँच अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियाँ आयोग को भेजी जायेंगी। आयोग सम्बद्ध अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों के आधार पर मामले पर विचार करेगा और अपनी सिफारिशें मुख्य अभियंता को भेजेगा।

(5) अन्तिम रूप से चुने गये अभ्यर्थियों के नाम, निम्न पद पर उनकी ज्येष्ठता के अनुसार फिर से क्रमबद्ध किये जायेंगे और कर्मचारी घोषित रिक्तियों की संख्या तक मौलिक रिक्तियों के प्रतिनियुक्ति किये जायेंगे। शेष अभ्यर्थियों से अस्थायी तथा स्थानापन्न रिक्तियों के प्रतिनियुक्ति किये जायेंगे। शेष अभ्यर्थियों से अस्थाई तथा स्थापन्न रिक्तियों में उसी क्रम में, जिस क्रम से उनके नाम सूची में आए हों, वर्ष के दौरान में जैसे और जब रिक्तियाँ हो, काम करने के लिए कहा जाएगा। यह केवल एक वर्ष के लिए अथवा ऐसे समय तक के लिये मान्य होगी जब कि अगले चयन से समय पुनर्विलोकन न हो जाय।

(6) यदि लगातार दो वर्षों तक स्थायी रिक्तियाँ न हों और केवल स्थानापन्न या अस्थायी रिक्तियों के लिए चयन करना आवश्यक हो जाय तो उपर्युक्त उपनियमों में नियत प्रक्रिया या अनुसरण किया जायेगा।

भाग - 7 - नियुक्ति, परिवीक्षा तथा स्थायीकरण

20. मुख्य अभियंता, पदोन्नति द्वारा और सीधी भर्ती के लिए अनुमोदित अभ्यर्थियों की एक अन्तिम प्रतीक्षा सूची, नियम-5 में दिये हुए अनुपात को यथोचित रूप से ध्यान रखते हुए तैयार करेगा। इस सूची में अभ्यर्थियों के नाम इस प्रकार क्रमबद्ध किये जायेंगे कि पहला और तत्पश्चात प्रत्येक पाँचवाँ स्थान पदोन्नत कर्मचारी को दिया जाय। नाम, एक बार में होने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के सम्बन्ध में उपर्युक्त क्रम में रखे जायेंगे, इस तथ्य के होते हुए भी कि उन रिक्तियों के प्रति सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा शिगणकों का चयन उनके कोटा के अनुसार एक बार में या अनेक बार में किया गया हो। इस सूची को तैयार करने में यह सुनिश्चित करने की सावधानी बरती जायेगी कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये कर्मचारियों का पारस्परिक क्रम वही रहे जो नवीनवीश के पदों पर उनकी ज्येष्ठता का क्रम हो, और उनका पारस्परिक क्रम जो सीधी भर्ती द्वारा लिये जायें, वही रहे जिस क्रम से नियम 16वें अधीन आयोग द्वारा उनके नाम की सिफारिश की जाय।

21. (1) नियम 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मुख्य अभियंता, मौलिक रिक्तियों होने पर, नियम 20 के अधीन तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों की उसी क्रम से जिस क्रम से उनका नाम उक्त सूची में आये हों, सेवा में नियुक्तियाँ करेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि नियुक्ति करने के पूर्व मुख्य अभियंता प्रत्येक मामले में अपना यह समाधान कर लेगा कि अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए इस नियमावली के अधीन सभी प्रकार से यथाविधि अहित है।

(2) मुख्य अभियंता अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में भी नियम 20 के अधीन तैयार की गयी प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति करेगा। किन्तु यदि उक्त सूची निःशेषित हो जाय अथवा उक्त सूची का कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह आयोग से परामर्श लिये बिना ऐसी रिक्तियों में, इस नियमावली के अधीन नियत अपेक्षित अर्हताएँ रखने वाले व्यक्तियों में से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नियुक्तियाँ कर सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार नियुक्ति व्यक्ति आयोग से परामर्श लिये बिना कुल लगातार एक वर्ष से अनधिक के लिए पद धारण न करेंगे।

टिप्पणी : इस नियम के अधीन प्रत्येक ऐसी नियुक्ति करने के साथ ही साथ आयोग को एक सूचना भेजी जायेगी जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित होगा कि नियुक्ति इस नियम के अधीन की गयी है।

22. सेवा में ज्येष्ठता, मौलिक रिक्ति में नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निर्धारित की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी एक ही दिनांक को नियुक्ति किये जायें तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता उस क्रम के अनुसार निर्धारित की जायेगी जिस क्रम से नियम 21 के अधीन उनकी नियुक्ति की गयी हो।

टिप्पणी : अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि वह, जब किसी रिक्त स्थान में कार्य करने के लिए कहा जाय, बिना किसी वैध कारण के उचित समय से भीतर सेवा में कार्य ग्रहण न करे।

23. (1) सेवा में, मौलिक रिक्तियों में या उनके प्रति नियुक्ति किये जाने पर सभी व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखे जायेंगे।

(2) परीक्षा अवधि की गणना, परीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में नियुक्ति का कार्यभार सम्भालने के दिनांक से की जायेगी। किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में, जो विभाग में पहले से ही अस्थायी तौर पर संगणक के रूप में कार्य कर रहे हों, संगणक के पद परास्थायी रूप से चयन किये जाने के पूर्व इस रूप में की गयी लगातार अस्थायी सेवा की अवधि को परीक्षा अवधि में जोड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

(3) मुख्य अभियंता, पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी व्यक्ति विशेष के मामले में परीक्षा अवधि को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए और बढ़ा सकता है। एक वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए सरकार से आदेश लिये जायेंगे। इस प्रकार बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के आदेश से वह ठीक दिनांक निर्दिष्ट होगा जब तक के लिए उक्त अवधि बढ़ायी गयी हो।

(4) यदि, यथास्थिति, परीक्षा अवधि अथवा बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान या उसके अन्त में किसी समय यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, अथवा अन्य प्रकार से सन्तुष्ट करने में असफल रहा है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं अथवा उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

(5) परीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे, उपर्युक्त उप नियम (4) के अधीन यथास्थिति, परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान अथवा उसके अन्त में, उसके मौलिक पद पर प्रत्यावर्तित किया जाय अथवा जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

24. परीक्षाधीन व्यक्ति, यथास्थिति, परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के अन्त में अपने पद पर अस्थायी कर दिया जायेगा, यदि वह मुख्य अभियंता द्वारा स्थायी किये जाने के लिए उपर्युक्त समझा जाय और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाय।

भाग - 8 - वेतन

25. सेवा में संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति के लिए, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न रूप में अथवा अस्थायी

रूप में नियुक्त हो, अनुमन्य वेतनमान 180.10.220 द.रो. 10.260 द.रो. 12 15:380 रूपये होगा।

(1) फण्डामेन्टल स्लस में किन्हीं प्रतिकूल उपबन्धों के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति से जो पहले ऐसी स्थायी सरकारी सेवा में हो, भिन्न सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा का प्रथम वर्ष पूरा करने पर इस शर्त पर समयमान में वेतनवृद्धि की अनुज्ञा दी जायेगी कि उसका कार्य संतोषजनक बताया गया हो। यदि संतोषजनक कार्य करने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक न की जायेगी जब तक कि निर्माण प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति की जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतनमान नियम 29 में अमिविष्ट संगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

27. (1) किसी भी संगणक को दक्षता रोक पार करने की तब तक अनुमति न दी जायेगी जब तक उसके कार्य, आचरण व सत्यनिष्ठा और योग्यता से पूर्ण रूप से संतोष न हो जाय।

(2) सेवा के किसी सदस्य को द्वितीय तथा अनुवर्ती दक्षता रोक पार करने की तब तक अनुमति न दी जायेगी जब तक कि वह अपनी योग्यता और ईमानदारी दोनों से अपने कर्तव्यों का पालन करने में पूर्णतः योग्य न हो।

भाग - 9 - अन्य उपबन्ध

28. भर्ती के लिए इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न सिफारिश पर, चाहे वो लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अभ्यर्थता के लिए अन्य उपायों द्वारा समर्थन करने का प्रयास उसे अनर्ह कर देगा।

29. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो इस नियमावली अथवा तदधीन दिये गये या जारी किये गये आदेशों के अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, अधिष्ठान में नियुक्त व्यक्ति, ऐसे नियमों, विनियमों तथा आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे जो उत्तर प्रदेश के प्रशासन के सम्बन्ध में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों पर समान्यता लागू होते हैं।

30. यदि राज्यपाल का यह समाधान हो जाय कि सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित नष्ट होता है तो वे, आयोग के परामर्श से, उस मामले में लागू होने वाले नियमों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वे उस मामले को उचित और ठीक ढंग से निपटाने के लिए आवश्यक समझे, अभियुक्त कर सकते हैं या शिथिल कर सकते हैं।

परिशिष्ट - 'क'

नियम 6 देखिये

लोक सेवा में अनुसूचित जातियों, आदि का प्रतिनिधित्व

संविधान के अनुच्छेद 16 के खण्ड (4) और अनुच्छेद 335 के उपबन्धों के अनुसरण में राज्यपाल आदेश देते हैं कि प्रशासन की कार्यपद्धति बनाये रखने की संगति के अनुसार

(1) नियुक्ति करते समय पिछड़े वर्ग के हित को सामान्य रूप से ध्यान में रखा जायगा, और

(2) उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य के सम्बन्ध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ कर। में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली 18 प्रतिशत रिक्तियाँ, अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये समान्यता आरक्षित रहेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी एक वर्ष में अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों की भर्ती किसी सेवा या अधिष्ठान में 18 प्रतिशत तक न की जा सके तो यह कमी सम्बन्धित सेवा या अधिष्ठान में अगले वर्ष की भर्ती में पूरी की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह भी है कि कमी के कारण आरक्षण दो वर्ष से आगे नहीं ले जाया जाएगा।

परिशिष्ट 'ख'

1. हिंदू इंजीनियरिंग स्कूल, लखनऊ के छात्रों को थॉमसन कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, रुड़की द्वारा दिया जाने वाला ओवरसीयरी का प्रमाण पत्र।
2. सिविल इंजीनियरिंग स्कूल लखनऊ के छात्रों को थॉमसन कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, रुड़की द्वारा दिया जाने वाला ओवरसीयरी का प्रमाण पत्र।
3. थॉमसन कालेज आफ इंजीनियरिंग, रुड़की द्वारा अपने छात्रों को दिए जाने वाले ओवरसीयरी का प्रमाण पत्र।
4. कालेज आफ इंजीनियरिंग पूना द्वारा दिया जाने वाला ओवरसीयरी का प्रमाण पत्र।
5. उड़ीसा स्कूल आफ इंजीनियरिंग, कटक द्वारा दिया जाने वाला सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।
6. केन्द्रीय या राज्य विभाग मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा समामेलित भारत में किसी विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाने वाला ओवरसीयरी का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा।
7. मुरलीधर गजानन्द टेक्निकल इंस्टीट्यूट, हाथरस, उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला कम्प्यूटर का प्रमाण पत्र।
8. मुरलीधर गजानन्द टेक्निकल इंस्टीट्यूट, हाथरस, उत्तर प्रदेश द्वारा दिया जाने वाला सर्वेयर या डिप्लोमा।
9. सहायक प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा दिये जाने वाला ओवरसीयरी का प्रमाण पत्र।
10. प्राविधिक शिक्षक परिषद, उ.प्र. द्वारा दिया जाने वाला ओवरसीयरी का प्रमाण पत्र।
11. आल इन्डिया कौंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दिया जाने वाला सिविल इंजीनियरिंग में राष्ट्रीय पत्र।

टिप्पणी : विभाग में अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों में पहले से किसी कार्य करने वाले ओवरसीयर जिन्होंने वर्ष 1936 में या उसके पश्चात और इस वर्ष के पूर्व जून से थॉमसन कालेज ऑफ इंजीनियरिंग, रुड़की द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र दिया जाना शुरू किया गया, हिंदू या सिविल इंजीनियरिंग लखनऊ से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो वे सेवा स्थायी रूप से भर्ती के लिए अर्ह समझे जायेंगे, यदि वे अन्यथा पात्र हों।

सार्वजनिक निर्माण निर्माण विभाग संगणक सेवा (संशोधन) नियमावली 1975

उत्तर प्रदेश सरकार

सार्वजनिक निर्माण अनुभाग - 4

संख्या-3734 एनजी/23 सा.नि. अनु-4-351 एनजी / 69

अधिसूचना

प्रकीर्ण

भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन व्यक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सार्वजनिक निर्माण विभाग, संगणक सेवा नियमावली, 1968 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

सार्वजनिक निर्माण निर्माण विभाग संगणक सेवा (संशोधन) नियमावली 1975

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली सार्वजनिक निर्माण विभाग संगणक सेवा (संशोधन) नियमावली, 1975 कहलायेगी।

(2) यह दिनांक 1 मार्च, 1974 से प्रवृत्त हुई समझी जायगी।

2.

सार्वजनिक निर्माण विभाग संगणक सेवा नियमावली 1968 में स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 19 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जाय :-

स्तम्भ-11

(वर्तमान नियम 19 (1))

19 (1). किसी भी नक्शानवीस (ड्राफ्ट्समैन) की नियम 5 (2) के अधीन सेवा में तब तक पदोन्नति नहीं की जायेगी जब तक कि वह स्थायी न हो और उसने विभाग में कम से कम 10 वर्ष की सेवा जिसके अन्तर्गत अनर्ह नक्शानवीस के रूप में सेवा भी है, न की हो और वे सेवा से पदोन्नति के पात्रता निर्धारित करने के निमित्त विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण न हो।

स्तम्भ-2

(एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियन्त्रण 19 (1))

19. (1) किसी भी नक्शानवीस की नियम 5(2) के अधीन सेवा में तब तक पदोन्नति नहीं की जायेगी तब तक कि वह नक्शानवीस के पद पर स्थायी न हो और उसने विभाग में कम से कम 10 वर्ष की सेवा जिसके अन्तर्गत अनर्ह नक्शानवीस के रूप में सेवा भी है न की हो।

ह./- आनन्द स्वस्व

आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 3734 (1) एनजी/23 सा.नि.अनु.-4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ/व्यवस्थापन (घ) वर्ग।

उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-4
संख्या-3331/23-4-14-15 एनजी/14
लखनऊ: दिनांक: 01 जनवरी, 2015

दिनांक 01 जनवरी, 2015 को प्रख्यापित "उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (सिविल) (ग्रुप 'सी') सेवा नियमावली, 2014" की प्रति निर्मासहित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, (नियमावली कोष्ठक) उ0प्र0 शासन।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 4- प्रमुख अभियन्ता (विकास एवं विभागाध्यक्ष) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाहा लखनऊ के असाधारण गजट दिनांक 01 जनवरी, 2015 के विधायी परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क), (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त की 1000 मुद्रित प्रतियां लोक निर्माण अनुभाग-4 को तत्काल उपलब्ध करा दें।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(कुलदीप एन0 अवस्थी)
विशेष सचिव।